प्राथमिकता

संख्या- 2/2020/13(1)/2007/का-1-2020

प्रेषक,

शीतला प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 23 जनवरी, 2020**

विषय:-दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से अब तक सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग, कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध पारित वृहद दण्डादेशों तथा पदच्युत किये कार्मिकों की संख्यावार सूचना।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग के अधिष्ठानीय नियंत्रणाधीन समस्त कार्मिकों के सम्बन्ध में अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग, कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध पारित वृहद दण्डादेश तथा पदच्युत किये कार्मिकों की अद्यतन संख्यावार संकलित सूचना, अपने हस्ताक्षर से अधोलिखित प्रारूप पर (क्षेत्रीय स्तर से अथवा एक ही विभाग के भिन्न-भिन्न अनुभाग के स्तर से प्राप्त सूचनायें अनुश्रवण हेतु ग्रहण/संकलित नहीं की जायेगी) कार्मिक अनुभाग-1 को **दिनांक 31.01.2020 तक** उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

प्रारूप

विभाग का नाम-

अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या	वृहद् दण्ड प्राप्त कार्मिकों की कुल संख्या	पदच्युत कार्मिकों की कुल संख्या

विभागीय प्रमुख के हस्ताक्षर

भवदीय,

शीतला प्रसाद

विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।